प्रेस नोट 06/02/2024

03 शातिर साइबर अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से साइबर फ्राड के रुपयों से खरीदी गयी एक मोटरसाईकिल व कूटरचित आधार कार्ड, पासबुक, चेकबुक इत्यादि बरामद–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में क्राइम ब्रान्च/साइबर सेल एवं थाना रानीपुर पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब, थाना रानीपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 178/23 धारा 66डी आई0टी0 एक्ट व 419,420,411 भादवि की विवेचना के क्रम में प्रकाश में आये अभियुक्तगण मोहित कौशिक पुत्र प्रदीप कौशिक निवासी गोरी शंकर क्वाटर रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली बुलन्दशहर, हाल पता शिव मंदिर के सामने लोनी रोड भोपुरा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद, परविन्दर उर्फ भूरा निवासी मधोपुरा थाना विजयनगर गाजियाबाद व विजय सिंह पुत्र बलिराम निवासी बरौला थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्ध नगर को दिनांक 05.02.2024 को जनपद गाजियाबाद से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से साइबर फ्राड के रुपयों से खरीदी गयी एक मोटरसाईकिल हीरो एक्स्ट्रीम (यूपी13सीडी 6847) व अधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बरामद किया गया।

कड़ाई से पूछताछ के दौरान उक्त द्वारा बताया गया कि, गरीब तथा किरायेदार के रुप में रहने वाले शराब पीने के आदी लोगों बहला–फुसलाकर तथा ललचाकर उनका बैंक खाता खोलकर मोबाइल नंबर अपने पास रख लिया जाता है उसी से एटीएम व पासबुक, चेकबुक जारी कराकर उन लोगों के खातों को खुद आपरेट किया जाता है, बाहर के रहने वाले लोगों के आधार कार्ड से पता यहीं का डलवा देते है जिससे उसके मूल पते के विषय में जानकारी न हो सके।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1. मोहित कौशिक पुत्र प्रदीप कौशिक निवासी गोरी शंकर क्वाटर रेलवे स्टेशन थाना कोतवाली बुलन्दशहर, हाल पता शिव मंदिर के सामने लोनी रोड भोपुरा थाना टीला मोड़ जनपद गाजियाबाद।
2. परविन्दर उर्फ भूरा निवासी मधोपुरा थाना विजयनगर गाजियाबाद।
3. विजय सिंह पुत्र बलिराम निवासी बरौला थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्ध नगर

बरामदगी–

1. साइबर फ्राड के रुपयों से खरीदी गयी एक मोटरसाईकिल हीरो एक्स्ट्रीम (यूपी13सीडी 6847)।
2. कूटरचित 02 अधार कार्ड, पैन कार्ड, 01 पासबुक, 01 चेकबुल इत्यादि।

गिरफ्तार/बरामदकर्ता पुलिस टीम–

उ0नि0 सुनील मलिक, प्रभारी साइबर सेल, मु0आ0 शैलेन्द्र कन्नौजिया, आ0 शशिकांत त्रिपाठी साइबर सेल मऊ।

मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध अभियुक्त 14 वर्ष के कठोर कारावास व ₹40000 के अर्थदंड से हुआ दंडित–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अविनाश पाण्डेय के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय विशेष न्यायालय पॉक्सो कोर्ट–प्रथम जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 06–02–2024 को, मु0अ0सं0 109/2016 धारा 376(2)छ भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना मुहम्मदाबाद में दोषसिद्ध अभियुक्त लालबाबू उर्फ सोनू पुत्र रमापतिराम निवासी फरीदपुर थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए धारा 4 पॉक्सो एक्ट में 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व ₹40000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया।

सजा कराये जाने में अपर शासकीय अधिवक्ता श्री रामचन्द्र चौहान, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री घनश्याम यादव, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी जयंत तिवारी थाना मुहम्मदाबाद का सराहनीय योगदान रहा।

<u>अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार-</u>

आज दिनांक 06.02.2024 को थाना घोसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर पिड़उत सिंहपुर के पास से गिरफ्तार अभियुक्त कृष्णा सिंह पुत्र परशुराम सिंह निवासी भैरोपुर खुरमा थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक अवैध पिस्टल व एक अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 59/24 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।